***प्रेस नोट स्ख्या-65**

दिनांक- 30.05.2024

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी पुलिस

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “Operation Conviction” अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोग में अमेठी पुलिस की प्रभावी पैरवी के के फलस्वरूप चोरी के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 07 माह का साधारण कारावास व 2000 रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

पुलिस अधीक्षक अमेठी के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में चल रहे अभियोगों में “Operation conviction” अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोग में अभियोजन अधिकारी, न्यायालय पैरोकार एवं मॉनीटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय रायबरेली में मु0अ0सं0 352/2023 धारा 379,411 भादवि थाना मोहनगंज मे अभियुक्त जमील पुत्र जयकरन निवासी सराय अख्तियार थाना सलोन जनपद रायबरेली को दोष सिद्ध कराने में सफलता प्राप्त हुई, परिणाम स्वरुप माननीय न्यायालय ए0सी0जे0एम0- द्वितीय रायबरेली द्वारा दिनांक- 28.05.2024 को धारा 379/411 भादवि में 07 माह का साधारण कारवास एंव 2000 रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने पर 10 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी।

***घटना का संक्षिप्त विवरणः- ***

प्रश्नगत अभियोग मे वादी मुकदमा के दिनांक 17.11.2023 समय 17.18 बजे अभियुक्त जमील पुत्र जयकरन निवासी सराय अख्तियार थाना सलोन जनपद रायबरेली द्वारा 02 बकरियां, 01 अदद मोबाइल व 2000 रु0 चोरी करने की तहरीरी सूचना पर मु0अ0सं0 352/23 धारा 379,411 भादवि थाना मोहनगंज पर पंजीकृत होकर विवेचक उ0नि0 श्री रामहिन्द सिंह द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त आरोप पत्र संख्याः ए-275 दिनांक 23.11.2023 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।